न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 11/2007

अपीलान्ट

ग्राम पंचायत कोट बालियान जरिये सरपंच, तहसील बाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

मृतक भूरसिंह पुत्र नेनसिंह के का0मु0

1. अन्तरकंवर पत्नी भूरसिंह
2. चन्द्राकंवर पुत्री भूरसिंह
3. भगवतसिंह पुत्र भूरसिंह
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र भूरसिंह
5. नारायणसिंह पुत्र भूरसिंह
6. प्रेमकंवर पुत्री भूरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण रडावा तहसील बाली जिला पाली
7. जसोदाकंवर पुत्री भूरसिंह पत्नी हमीरसिंह जाति राजपूत निवसी कोट बालियान तहसील बाली
8. इन्द्राकंवर पत्नी फूलसिंह जाति राजपूत निवासी वीरमपुरा तहसील बाली जिला पाली
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाली जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री मदनदास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 5.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1/2005 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2006 के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने रेस्पोडेन्ट भूरसिंह के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टीपरी के खसरा नम्बर 92 रकबा 15 बीघा भूमि का आवंटन तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 28.01.1965 को रेस्पोडेन्ट भूरसिंह के पक्ष में किया गया, जबकि उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 गोचर थी, जो आवंटन से प्रतिबन्धित होने के कारण उक्त आवंटन आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है। इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रकरण दायर होने पर दिनांक 29.06.1976 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन खारिज कर दिया गया था, जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष की, जो स्वीकार की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 9 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जो आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया एवं आवंटन को बहाल रखा। इन समस्त कार्यवाही में ग्राम पंचायत पक्षकार नहीं थी तथा न ही ग्राम पंचायत को पक्षकार संयोजित किया गया था। चूंकि गोचर की भूमि राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज होती है, जिसकी खातेदारी एवं देखरेख सहित समस्त जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे प्रकरण में ग्राम पंचायत को पक्षकार संयोजित कर कार्यवाही करते, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट भूरसिंह एवं उसके वारिशान का वक्त आवंटन से आदिनांक तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही आवंटी एवं उनके कायम मुकाम द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की है। इस कारण नियम 14 (3) तथा 14 (8) के तहत आवंटन खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट का कथन है कि जिस दिन आवंटन हुआ था, उस दिन भूमि गोचर के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं थी, किन्तु वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि का उपयोग उपभोग गोचर के रूप में ही लिया जा रहा था। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं थी, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो भी कार्यवाही चली, उसमें ग्राम पंचायत पक्षकार नहीं थी, जब ग्राम पंचायत को उक्त प्रकरण एवं निर्णय की जानकारी हुई, तो न्यायालय से निर्णय की प्रतियां एवं दस्तावेज आदि प्राप्त कर हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। उक्त देरी को कण्डोन करने एवं अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार करवाते हुए स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट भूरसिंह की माता हंजादेवी को जैर अपील वादस्थ भूमि का दिनांक 28.01.1965 को आवंटन किया गया था एवं मात्र हंजादेवी को ही नहीं, अन्य कई व्यक्तियों को भी इसी दिन भूमि का आवंटन किया गया। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर पाली में प्रकरण संख्या 58/1975 दायर करवाया, जो बअनवान सरकार बनाम हीरालाल वगैरा के नाम से दर्ज हुआ। उक्त प्रकरण में माननीय जिला कलेक्टर पाली द्वारा दिनांक 29.06.1976 को निर्णय पारित किया तथा आवंटन निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय में की गई, जिसमें दिनांक 18.12.1997 को निर्णय पारित करते हुए हंजा के पक्ष में हुए आवंटन को बहाल रखा गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर तहसीलदार बाली द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील दायर करवाई, जो दिनांक 22.03.2005 को निर्णित हुई, जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा जिला कलेक्टर, पाली एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय जिला कलेक्टर पाली को प्रतिप्रेषित किया। इस निर्णय की पालना में माननीय जिला कलेक्टर पाली द्वारा प्रकरण में पुनः विधिवत सुनवाई करते हुए आवंटन को बहाल रखा तथा अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया। जिस भूमि का आवंटन हुआ है, उसका रकबा बडा था, जिसमें से कुछ भूमि गोचर दर्ज की गई तथा शेष भूमि बारानी रही। वक्त आवंटन उक्त भूमि गोचर दर्ज ही नहीं थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 उक्त आवंटन को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार बाली द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें रेस्पोडेन्ट/आवंटी के का0मु0 का उक्त वादस्थ भूमि पर कब्जा काश्त होना जाहिर किया है। ग्राम पंचायत हस्तगत प्रकरण में किसी भी रूप में हितबद्ध नहीं है तथा न ही ग्राम पंचायत को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है, बिना अनुमति के अपील खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच कर एवं साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त ए0आई0आर0 2002 पेज 204, ए0आई0आर0 2003 पेज 1989, आर0आर0डी0 1993 पेज 44, आर0आर0डी0 1993 पेज 232, आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 891, आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 374 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। हस्तगत अपील जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1/2005 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2006 के विरूद्ध दिनांक 18.06.2007 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तुत की गई है। प्रथमतः तो अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा द्वितीय हस्तगत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। इन दोनों की तथ्यों के सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा अपनी प्रतिरक्षार्थ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कानूनन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 96 के तहत Considar किया जाता है। अब द्वितीय स्थिति के सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र प्रस्तुत किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अब प्रकरण में विधिक स्थिति यह प्रकट होती है कि क्या रेस्पोडेन्ट के पूर्वज हंजादेवी को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध था अथवा नही ? इस तथ्य के सम्बन्ध में प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि प्रकरण में इस तथ्य का सम्पूर्ण विवेचन परीक्षण न्यायालय से लेकर अपीलीय न्यायालय तक हो चुका है, जिसमें विभिन्न न्यायालयों के पृथक पृथक मत है। जिस सन्दर्भित कानून के तहत हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है, उसके अन्तर्गत आवंटन योग्य भूमि की जो कसौटी है, वह प्रथमतः यह है कि क्या उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित थी ? उक्त बिन्दु ही अपीलाण्ट की अपील का मुख्य आधार भी है। इस सम्बन्ध में रेकर्ड का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि वक्त आवंटन उक्त भूमि कि किस्म आरानी दोयम थी तथा इसी आधार पर भूमि को आवंटन योग्य माना गया है। इससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि जैर अपील आवंटन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करती है। आवंटी को ग्राम टीपरी के गत खसरा नम्बर 92 में से 15 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है तथा उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 32 दिनांक 23.02.1970 को स्वीकार किया गया। गत खसरा नम्बर 92 का रकबा 301 बीघा 18 बिस्वा थे। उक्त भूमि में से 250 बीघा भूमि दिनांक 18.06.1968 को गोचर घोषित की गई है, जिसकी पालना में उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांक 03.01.1979 के जरिये राजस्व रेकर्ड में गोचर दर्ज की गई। अपीलांट अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि वक्त आवंटन भूमि राजस्व रेकर्ड में गोचर दर्ज नहीं रही हो, किन्तु उसका उपयोग गोचर के रूप में हो रहा था। इस तथ्य में कोई बल नहीं है। मात्र कयासी आधारों पर राजस्व रेकर्ड की अनदेखी करते हुए भूमि को गोचर की संज्ञा प्रदान करना न्यायोचित नहीं है। तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बाली द्वारा अपने पत्र क्रमांक/कोर्ट/05/891 दिनांक 23.09.2005 के जरिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें आवंटी के का0मु0 का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन की जो शर्ते विहित है, अपीलाण्ट द्वारा उन शर्तो की पालना किया जाना प्रकट होता है तथा मुख्य रूप से जैर अपील वादस्थ भूमि वक्त आवंटन राजस्व रेकर्ड में गोचर दर्ज नहीं थी, इस कारण उसे गोचर की संज्ञा प्रदान करते हुए आवंटन पर प्रश्नचिन्ह लगाना विधि सम्मत नहीं है। चूंकि आवंटन वर्ष 1965 में हुआ था तथा भूमि को गोचर वर्ष 1968 में घोषित किया गया था, इस कारण गोचर घोषित करने सम्बन्धी आदेश Retrospective effect (भूतलक्षी प्रभाव) से लागू होना नहीं माना जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 948/1986 पतराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 31.08.1995 को पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि "The khatedari rights conferred upon the tenant can be withdrawn only in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act. 1955, and the Collector has no power under rult 14(4) of the Act to cancel the allotment made in favour of the petitioners with respect to the land in which the khatedari right have already ben conferred upon them because after the conferment of the Khatedari right, the applicability of the rules come an end, The power under sub Rule (4) of Rule 14 of the Rules,1970 can be exercised by the Collector before conferment of the Khatedari rights and after the conferment of the khatedari rights, the petitioners acquired all the rights for which they are entitled under the Rajasthan Tenancy Act and there after the provisions of Sub-rule (4) of rule 14 of the Rules, 190 has no application." आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "विवादित आवंटन लगभग 40, वर्ष पुराना है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई. आर. 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) है। यह मामला बहुत पुराना है एवं इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा। हस्तगत प्रकरण सिलसिलेवार विभिन्न न्यायालयों द्वारा परीक्षण होकर गुजरा है, जिसमें आवंटी को हुए आवंटन को विधि सम्मत माना गया है। इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि को वक्त आवंटन बारानी दोयम मानते हुए आवंटन योग्य माना है, तद्नुसार आवंटी को किए गए आवंटी की पुष्टि की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं पाई जाती है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1/2005 बअनवान सरकार बनाम भूरसिंह के का0मु0 अन्तरकंवर वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2006 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली